दिनांक 29.08.2024
प्रेस विज्ञप्ति 38/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

<u>जनपद प्रतापगढ़/थाना रानीगंज</u>

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर) बरामद**

दिनॉकः 28.08.2024 की रात्रि थाना रानीगंज व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर दुर्गागंज नहर पटरी के पास बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1—सौरभ 2—अज्जू उर्फ शीतला प्रसाद घायल हो गये, जिन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर) बरामद हुयी। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त सौरभ थाना रानीगंज पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त सौरभ व अज्जू उर्फ शीतला प्रसाद के विरूद्ध जनपद प्रतापगढ़ के थाना रानीगंज आदि पर लूट, आर्म्स एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना रानीगंज पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—सौरभ निवासी ग्राम तौकलपुर थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

2—अज्जू उर्फ शीतला प्रसाद निवासी ग्राम देवगलपुर थाना मऊआइमा कमिश्नरेट प्रयागराज।

बरामदगी

1– 02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस

2– 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर)

कमिश्नरेट प्रयागराज/थाना बहरिया

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 50 हजार 160 रूपये नगद**
- **01 मोबाइल फोन**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 29.08.2024 को थाना बहरिया व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम सराय मदन नहर पुलिया के पास से अभियुक्त अनुप कुमार उर्फ राजा को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लूट के 50 हजार 160 रूपये नगद, 01 मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 26.08.2024 को थाना बहरिया क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बहरिया पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद रूपया लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना बहरिया पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अनुप कुमार उर्फ राजा निवासी बुआपुर नसरपुर थाना मऊआइमा कमिश्नरेट प्रयागराज।

बरामदगी

1–लूट के 50 हजार 160 रूपये नगद।

2–01 मोबाइल फोन।

3–घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल।

जनपद फिरोजाबाद/थाना सिरसागंज

- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 21 हजार 500 रूपये नगद**
- **01 मोटर साइकिल**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 29.08.2024 को थाना सिरसागंज व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नंगला खंगर जाने वाले रोड पर चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–शरीफ 2–गौरव कुमार घायल हो गये, जिन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 21 हजार 500 रूपये नगद, 01 मोटर साइकिल, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शरीफ के विरूद्ध जनपद इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद के विभिन्न थानों पर लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 17 अभियोग व अभियुक्त गौरव कुमार के विरूद्ध जनपद इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद के विभिन्न थानों पर डकैती, लूट, चोरी, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 16 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना सिरसागंज पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–शरीफ निवासी ग्राम नगला खुशहाली थाना सिरसागंज जनपद फिरोजाबाद।

2–गौरव कुमार निवासी ग्राम सलूकनगर थाना बरनाहल जनपद मैनपुरी।

<u>बरामदगी</u>

1–लूट के 21 हजार 500 रूपये नगद।

2–01 मोटर साइकिल।

3–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

<u>कमिश्नरेट गाजियाबाद/थाना इन्दिरापुरम</u>

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 46 लाख 36 हजार रूपये कीमत की चोरी के 125 ब्राण्डेड घड़ियाँ बरामद**

दिनांक 29.08.2024 को थाना इन्दिरापुरम व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर छिजारसी कट, कनावनी पुस्ता रोड के पास से 02 अभियुक्तों 1–संतोष कुमार 2–रोहित कुमार को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 46 लाख 36 हजार रूपये कीमत की चोरी के 125 ब्राण्डेड घड़ियाँ बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 10/11.08.2024 को थाना इन्दिरापुरम क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना इन्दिरापुरम पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद घड़ियाँ चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना इन्दिरापुरम पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–संतोष कुमार निवासी कस्बा व थाना घोडासहन जनपद मोतिहारी पूर्वी चम्पारण बिहार, हालपता ग्राम छिजारसी सेक्टर 63 नोएडा।

2–रोहित कुमार निवासी कस्बा व थाना घोडासहन जनपद मोतिहारी पूर्वी चम्पारण बिहार, हालपता कापसहेडा वॉर्डर दिल्ली।

<u>बरामदगी</u>

1–लगभग 46 लाख 36 हजार रूपये कीमत की चोरी के 125 ब्राण्डेड घड़ियाँ।

जनपद बुलन्दशहर/थाना सिकन्द्राबाद

- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **40 हजार 500 रुपये नगद**
- **01 अवैध पिस्टल मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर) बरामद**

दिनांक 28/29.08.2024 की रात्रि थाना सिकन्द्राबाद पुलिस व क्राइम ब्रांच की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर निजाम बिजली घर के पास मोटर साइकिल सवार बदमाशों की घेराबंदी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–जावेद 2–रजा खान घायल हो गये, जिन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 40 हजार 500 रुपये नगद, 01 अवैध पिस्टल मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर) बरामद हुये। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त 1–जावेद के विरूद्ध कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के विभिन्न थानों पर लूट, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, गुण्डा एक्ट आदि के 07 अभियोग व अभियुक्त रजा खान के विरूद्ध जनपद बुलन्दशहर, मेरठ के विभिन्न थानों पर हत्या का प्रयास आदि के कई अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना सिकन्द्राबाद पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–जावेद निवासी नई आबादी दादरी कस्बा व थाना दादरी कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर ।

2–रजा खान निवासी इन्द्रा चौक थाना सिविल लाइन जनपद मेरठ ।

बरामदगी

1– 40 हजार 500 रुपये नगद।

2– 01 अवैध पिस्टल मय जीवित/खोखा कारतूस।

3– 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

4– 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर)।

जनपद रामपुर/थाना मिलक

- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा मय जीवित / खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 28.08.2024 की रात्रि थाना मिलक पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम लखीमपुर विश्नु के जंगल में मोटर साइकिल सवार बदमाशों की घेराबंदी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–नाजिम घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2–राजिन सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 01 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त नाजिम के विरूद्ध जनपद रामपुर के थाना मिलक पर चोरी, सीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 16 अभियोग व अभियुक्त राजिन के विरूद्ध जनपद रामपुर के थाना मिलक पर चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना मिलक पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–नाजिम निवासी मोहल्ला नसीराबाद कस्बा व थाना मिलक जनपद रामपुर।

2–राजिन निवासी मोहल्ला नसीराबाद कस्बा व थाना मिलक जनपद रामपुर।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस।

2–01 मोटर साइकिल आदि।

एएनटीएफ/आपरेशनल यूनिट बरेली

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 01 करोड़ 20 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 600 ग्राम अवैध स्मैक/हेरोइन**
- **01 मोबाइल फोन बरामद**

दिनांक 28.08.2024 को एएनटीएफ आपरेशनल यूनिट बरेली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम बगरैन के पास से अभियुक्त मुस्ताक को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 01 करोड़ 20 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 600 ग्राम अवैध स्मैक/हेरोइन, 01 मोबाइल फोन बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना वजीरगंज जनपद बदायूँ पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मुस्ताक निवासी ग्राम अंगथरा थाना वजीरगंज जनपद बदायूं।

बरामदगी

1–लगभग 01 करोड़ 20 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 600 ग्राम अवैध स्मैक/हेरोइन।

2–01 मोबाइल फोन।

जनपद बांदा/थाना कालिंजर

- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **65 किलो 350 ग्राम अवैध गांजा बरामद**

दिनांक 29.08.2024 को थाना कालिंजर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम नौगवां से अभियुक्त राजकुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के

कब्जे/निशादेही से 64 किलो 350 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ।

इस सम्बन्ध में थाना कालिन्जर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–राजकुमार निवासी नौगवां थाना कालिन्जर जनपद बांदा।

बरामदगी

1– 65 किलो 350 ग्राम अवैध गांजा।

- **जनपद मऊ (गैंगेस्टर एक्ट में लगभग 02 करोड़ 75 लाख रूपये कीमत की सम्पत्ति कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही)**

जनपद मऊ पुलिस ने अभियुक्त 1–अफजल अहमद पुत्र इरफान अहमद निवासी नेवादा पठानपुरा थाना मरदह जनपद गाजीपुर द्वारा अपने एवं परिजनों के नाम अवैध रूप से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति कीमत करीब 02 करोड़ 75 लाख रूपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही अमल में लायी गयी।

- **जनपद हापुड़/थाना धौलाना (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तों को 20/05–05 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व अर्थदण्ड)**

जनपद हापुड़ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हापुड़ द्वारा थाना धौलाना पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त 1–विकास उर्फ गोलू को धारा 363/366ए भादवि व 4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड एवं अभियुक्त 2–जोगेन्द्र 3–अभियुक्ता को धारा 363/120बी/366ए भादवि के अन्तर्गत 05–05 वर्ष के सश्रम कारावास व 10–10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बस्ती/थाना कोतवाली (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 40 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बस्ती पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बस्ती द्वारा थाना कोतवाली पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366 भादवि व 4(2) पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त अमित को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 40 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———